न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री लहरी कुमार जैन (आर .ए.एस)

मिसल नंबर 338/14 दावा

निर्णय दिनाक 11.02.2017

बउनवान

1. रामस्वरुप पुत्र भीमशंकर जाति लुहार निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा
2. नरेश पुत्र भीमशंकर जाति लुहार निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा
3. बादाम बाई पुत्री भीमशंकर जाति लुहार निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा.

बनाम्

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पेश कर निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजी वादीगण के स्व0 पिता भीमशंकर पुत्र रामनाथ जाति लुहार निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2049–2052 खाता संख्या नई 155 के खसरा नंबर 132/778 की रकबा 05 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ की स्थित थी, तथा ग्राम पीसाहेडा मे ही मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2058–77 खाता संख्या नई 151 के खसरा नंबर 273 की रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै. मु. चाह की स्थित थी जिसमें वादीगण के स्व0 पिता 1/2 हिस्से के खातेदार थे।

यह कि वाद पत्र के पैरा नंबर 01 में वर्णित आराजी वादीगण के पिता जीवन पर्यन्त काबिज होकर काश्त करते रहे तथा उसका उपयोग उपभोग करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा खसरा नंबर 273 की चाह से अपनी आराजी सिंचित करते है तथा आराजी का उपयोग करते हैं।

यह कि हाल सेटलमेंट सम्वत 2058–2077 के दौरान सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा पुराने खसरा नंबर 132/773 की 05 बीघा आराजी के नये खसरा नंबर 271 की रकबा 0.80 हैक्टर एवं पुरानी खसरा नंबर 162/776 गै0मु0 चाह के नये खसरा नंबर 273 की रकबा 0.02 हैक्टर कायम किये गये हैं।

यह कि हाल सेटलमेंट सम्वत 2058–2077 के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना कोई विधिक अधिकार के मनमाने तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीगण के पिता के खाते की उपरोक्त वर्णित आराजी को खाते से हटाकर सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंट कर्मचारियों को खाते में विद्यमान प्रविष्टियों को हटाने

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

का या खाते दर्ज आराजी का ...
विधिक अधिकार हासिल नहीं था।

यह कि वादीगण के पिता भीमशंकर की मृत्यु दिनांक 04.04.2009 को हो जाने से तथा वादीगण ही उनके लीगल वारिस होने से वादीगण स्वतः ही अपने पिता के खाते की पैरा नंबर 01 में वर्णित आराजी पर काबिजहोकर बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वाद पत्र के पैरा नंबर 01 में वर्णित आराजी जिसके हाल खसरा नंबर 271 की 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 273 की 0.02 हैक्टर सिवायचक दर्ज होने से तहसीलदार कनवास ने वादीगण को उक्त आराजी पर अतिक्रमी मानते हुये धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही खोल दी है, तथा वादीगण को उक्त आराजी पर से बेदखल करने व सज़ा करने पर आमादा है जिसके लिए उन्होनें हमारे विरूद्व मुकदमा नं0 507/13 कायम कर हमें धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस भी दिया है।

यह कि वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया तो वादीगण को सदैव के लिए अपनी ही खाते की आराजी से हाथ धोना पडेगा तथा व्यर्थ की वाद कारिता में उलझना पडेगा।

यह कि वाद पत्र के पैरा नंबर 01 में वर्णित आराजी के सिवाय चक दर्ज होनें की जानकारी हमें प्रथम बार दिंनाक 03.06.2009 को राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर हुई उसके बाद वादीगण कई बार तहसीलदार सांगोद के यहां व शिविरों में चक्कर लगाते रहे लेकिन आज तक उक्त आराजी वापस वादीगण के खाते दर्ज नंही हुई तथा फिर वापस दिंनाक 21.03.2013 को धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस वादीगण को दे दिया गया, उसके बाद वादीगण ने अपने अधिवक्ता के जर्ये दिनांक 04.10.2013 को एक लीगल नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाप्ता दिवानी का तहसीलदार कनवास को दिया लेकिन उसके बावजूद प्रतिवादी वादीगण के खिलाफ धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही करके वादीगण को बेदखल करनें एवं सजा तथा भारी जुर्माना करने की धमकियां दे रहे हैं जिसके लिए पटवारी जी ने दिनांक 08.10.2013 को वादीगण से कब्जा छोडने बाबत् कहा है इसलिए वाद कारण प्रथम बार दिनांक 30.06.2009 को अंतिम बार दिनांक 08.10.2013 को उत्पन्न हुआ। यह कि वादीगण को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह जर्ये हक घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय से वाद पत्र के पैरा नंबर 01 में वर्णित आराजी जिसके नये खसरा नंबर 271 की 0.80 हैक्टर व खसरा नंबर 273 की 0.02 हैक्टर कायम हो गये हैं को वापस अपने खाते दर्ज करवा लेवे एवं प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवा लेवे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजी में किसी प्रकार मदाखलत व मजामहत न करें ना ही वादीगण को बेदखल करें, नांही वादीगण के विरूद्व 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही करें तथा वादीगण को शांतिपूर्वक उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करने देंवे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

तथा आराजी का उपयोग उपभोग करते है।

फरमाई जावें कि –

क. कि ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास में स्थित वर्तमान खसरा नंबर 271 की रकबा 0.80 हैक्टर व खसरा नंबर 273 की 0.02 हैक्टर गै0मु0 चाह को वापस वादीगण के खाते दर्ज करने की डिक्री फरमावें।

ख. कि जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वह वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 271 की रकबा 0.80 हैक्टर व खसरा नंबर 273 की 0.02 हैक्टर गै0मु0 चाह में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें ना ही वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने की कोशिश करें, ना ही किसी प्रकार से वादीगण के विरूद्व धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही करें तथा ना तो प्रतिवादी स्वयं ऐसा करें ना ही अपने किन्हीं प्रतिनिधियों से ऐसा करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गयी। राज्य सरकार की ओर से पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कनवास) ने दिंनाक 01.12.2014 को जवाब प्रस्तुत किया। जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। दिंनाक 25.01.2017 को वादी के हक में प्रतिवादी के विरूद्व वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 आर टी एक्ट ताफैसला तक स्वीकार किया गया।

पत्रावली आज लोक अदालत में प्रस्तुत हुई, हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेंजों तथा जवाब सरकार का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबंदी संवत 2049–52 अनुसार वादीगण के पिता भीमशंकर आ0 रामनाथ जाति लुहार के खाते में साबिक ख0नं0 162/778 की रकबा 5–00 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी तथा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2058–77 अनुसार साबिक खवन0 162/778 की रकबा 5–00 बीघा के हाल ख0नं0 271 रकबा 0.80 हैक्टर बने है जो खतौनी बन्दोबस्त संवत 2058–77 अनुसार व हाल जमाबंदी संवत 2073–77 अनुसार सिवाय चक खाते में दर्ज है। इस प्रकार साबिक रेकार्ड जमाबंदी संवत 2049–52 अनुसार साबिक ख0नं0 162/778 की रकबा 5–00 बीघा पर वादीगण का हक साबित होता है, अतः विवादग्रस्त आराजी साबिक ख0नं0 162/778 रकबा 5–00 बीघा के बने हाल ख0नं0 271 रकबा 0.80 हैक्टर पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक खसरा गिरदावरी संवत 2053–56 अनुसार साबिक ख0नं0 162/776 की रकबा 6–00 बीघा भूमि बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ, कन्या बेवा जगन्नाथ कौम राव सा0 देह के खाते दर्ज होना स्पष्ट है एवं मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2058–77 अनुसार हाल ख0नं0 273 रकबा 0.02 हैक्टर साबिक ख0नं0 162/776 मि0 व 162/778 मि0 से बनना स्पष्ट है। इस प्रकार हाल ख0नं0 273 रकबा 0.02 हैक्टर वादीगण के पिता की आराजी साबिक खसरा नं0 162/778 मि0 व बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ वगैरा की साबिक आराजी ख0नं0 162/776 मि0 से बना होने से उक्त ख0नं0 पर वादीगण व बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ, कन्या बेवा जगन्नाथ कौम राव सा0

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

देह का संयुक्त रुप से हक होना स्पष्ट है। वह विवादग्रस्त ख0नं0 273 रकबा 0.02 हैक्टर की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2058–77 अनुसार व हाल जमाबंदी संवत 2073–77 अनुसार सिवाय चक खाते में दर्ज है। उक्त विवादग्रस्त आराजी हाल ख0नं0 273 रकबा 0.02 हैक्टर पर भी वादीगण व बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ, कन्या बेवा जगन्नाथ कौम राव सा0 देह का संयुक्त रुप से खातेदार घोषित किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं तथा जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी को पाबंद किया जाना उचित समझते है कि वह वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास की हाल खसरा नंबर 271 की रकबा 0.80 हैक्टर आराजी व ग्राम पीसाहेडा की ही वादीगण के संयुक्त हक की आराजी खसरा नंबर 273 की 0.02 हैक्टर आराजी में शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें ना ही वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने की कोशिश करें ना ही किसी प्रकार से वादीगण के विरूद्व धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही करें तथा ना तो प्रतिवादी स्वयं ऐसा करें ना ही अपने किन्ही प्रतिनिधियों से ऐसा करावें।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास में स्थित वर्तमान ख0 नं0 271 की रकबा 0.80 हैक्टर आराजी पर वादीगण रामस्वरुप पुत्र भीमशंकर, नरेश पुत्र भीमशंकर व बादाम बाई पुत्री भीमशंकर जाति लुहार निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा को संयुक्त रुप से हिस्सा बराबर मे खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास में स्थित वर्तमान खसरा नंबर 273 की 0.02 हैक्टर गै0मु0 चाह पर वादीगण रामस्वरुप पुत्र भीमशंकर, नरेश पुत्र भीमशंकर व बादाम बाई पुत्री भीमशंकर जाति लुहार निवासी ग्राम पीसाहेडा को संयुक्त रुप से हिस्सा 1/2 में व बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ, कन्या बेवा जगन्नाथ कौम राव सा0 पीसाहेडा को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी को पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास की खसरा नंबर 271 की रकबा 0.80 हैक्टर व खसरा नंबर 273 की 0.02 हेक्टर आराजी में वादीगण के हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें ना ही वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने की कोशिश करें ना ही किसी प्रकार से वादीगण के विरूद्व धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही करें तथा ना तो प्रतिवादी स्वयं ऐसा करें ना ही अपने किन्ही प्रतिनिधियों से ऐसा करावें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

लहरी कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास न्यायालय बइजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

1. रामस्वरूप पुत्र भीमशंकर जाति लुहार।
2. नरेश पुत्र भीमशंकर जाति लुहार।
3. बादामबाई पुत्री भीमाशंकर जाति लुहार निवासीगण ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं 338/14 सन 2014 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी गण की ओर से एडवाकेट श्री महेश कुमार मालव मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है कि ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास में स्थित वर्तमान खसरा नंबर 271 की रकबा 0.80 है0,आराजी पर वादीगण रामस्वरूप पुत्र भीमशंकर, नरेश पुत्र भीमशंकर व बादामाबाई पुत्री भीमशंकर जाति लुहार निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा को संयुक्त रूप से हिस्सा बराबर में खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास में स्थित वर्तमान खसरा नंबर 273 की 0.02 है0, गै0मु0 चाह पर वादीगण रामस्वरूप पुत्र भीमशंकर, नरेश पुत्र भीमशंकर व बादामबाई पुत्री भीमशंकर जाति लुहार निवासी ग्राम पीसाहेडा को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 में व बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ, कन्या बेवा जगन्नाथ कौम राव सा0 पीसाहेडा को हिस्सा को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी को पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के खातेदार एवं कब्जे काश्त की ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास की खसरा नंबर 271 की रकबा 0.80 है0, व खसरा नंबर 273 की 0.02 हे0, आराजी में वादीगण के हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें ना ही वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने की कोशिश करें ना ही किसी प्रकार से वादीगण के विरूद्व धारा 91 एल0

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आर0 एक्ट की कार्यवाही करं तथा ना तो प्रतिवादी स्वयं ऐसा करें ना ही अपने हिन्ही प्रतिनिधियों से ऐसा करावें। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह .... को जारी की गई।

मोहर ....

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक ...		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा